्यालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 63/24 (वाद)

GCMS NO: 2024/181

अनवान

रामलाल पिता प्रथीया उर्फ परथा मीणा निवासी सालमपुरा कुण्डई तहसील भीण्डर ला उदयपुर राज.।

............वादी

बनाम्

मती तुलसी बाई पुत्री प्रथीया उर्फ परथा मीणा निवासी सालमपुरा कुण्डई तहसील ण्डर जिला उदयपुर राज.।

मती मोतडी पुत्री प्रथीया उर्फ परथा मीणा निवासी सालमपुरा कुण्डई तहसील भीण्डर ला उदयपुर राज.।

मती नारायण पुत्री प्रथीया उर्फ परथा मीणा निवासी सालमपुरा कुण्डई तहसील भीण्डर ला उदयपुर राज.।

मती वरदी बाई पत्नी प्रथीया उर्फ परथा मीणा निवासी सालमपुरा कुण्डई तहसील ण्डर जिला उदयपुर राज.।

गमाना पिता भेरा मीणा निवासी सालमपुरा कुण्डई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.

भीमा पिता भेरा मीणा निवासी सालमपुरा कुण्डई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

मती धूली पुत्री भेरा मीणा निवासी सालमपुरा कुण्डई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर ज.।

मोहन पिता चौखा मीणा निवासी सालमपुरा कुण्डई तहसील भीण्डर हाल निवासी तपुरा (गुडेल) जिला सलूम्बर राज.।

हिम्मत पिता चौखा मीणा निवासी सालमपुरा कुण्डई तहसील भीण्डर हाल निवासी तपुरा (गुडेल) जिला सलूम्बर राज.।

ोमती जमना पत्नी चौखा मीणा निवासी सालमपुरा कुण्डई तहसील भीण्डर हाल निवासी ेतपुरा (गुडेल) जिला सलूम्बर राज.।

ी राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर ाज.।

............प्रतिवादीगण

स्थित–1. श्री रामसिंह रावत, अधिवक्ता वादी।

श्री उमेश माली, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 9।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:45:22 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

—:: निर्णय ::—

दिनांक 26.

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत वाद प्र

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत वाद प्र
गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कुण्डई पटवार हल्का
अभिलेख निरीक्षक भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की साविक जमा
2051–54 के खाता संख्या 169 पर खसरा न. 972–974/6 रकबा 2 बीघा भूमि
वादी के पिता प्रथीया उर्फ परथा के नाम गैर खातेदारी से दर्ज रेकर्ड थी जि
उपरान्त विरासत से मुझ वादी एवं मेरी बहिने तुलसीबाई, मोतडी, नारायणी पि
उर्फ परथा एवं वरदी बाई पत्नी प्रथीया उर्फ प.था के नाम गैर खातेदारी के रू
रेकर्ड रही। इसी प्रकार खाता संख्या 168 पर खसरा न. 972–974/5 रकबा 2
मुझ वादी के काका श्री दलीया पिता भेरा मीणा के नाम गैर खातेदारी के रूप
रेकर्ड रही जिनकी लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है, खातेदार प्रथीया उर्फ परथा एव
मीणा के जीवनकाल में उनका कब्जा उपयोग उपभोग रहा, उनकी मृत्यु उपरा
भूमि पर मुझ वादी का उपयोग उपभोग चला आ रहा है।

2. यह कि खातेदार प्रथीया उर्फ परथा एवं दलिया मीणा पिता भेरा मीणा सजरे
भेराजी के 5 पुत्र गमाना, दलिया, उदा, प्रथीया उर्फ परथा, भीमा, चौखा एवं पुत्री धु
जिसमें से दलिया एवं उदा लाऔलाद फौत हो चुके है तथा प्रथीया उर्फ परथा की
हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान वरदीबाई, रामलाल, तुलसीबाई, मोतडी, नाराय
इसी प्रकार चौखा की मृत्यु हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान मोहन हिम्मत एवं
हैं। वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार प्रथीया उर्फ परथा पिता भेरा मीणा थे।
अपने जीवनकाल में ही अपनी तीनों पुत्रियों क्रमशः तुलसीबाई, मोतडी एवं नाराय
शादीयां कराद दी एवं जो कुछ भी उनको देना था वो वक्त शादी दे दिया जिससे
अपना कुलीया हक व हिस्सा परित्याग दिया जिससे तीनों पुत्रीयों का किसी प्रक
कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य नहीं हैं। उक्त भूमि का एकमात्र स्वामी औ
रामलाल है एवं खातेदार दलिया पिता भेरा का लाऔलाद विगत 5 वर्ष पूर्व निधन हो
है, जिनके कोई जाइन्दा पुत्र एवं पुत्री संतान नही होने के कारण वादी रामलाल
उसकी सेवाचाकरी की और उन्होने उनके जीवनकाल में ही उनके हिस्से की भूमि
रामलाल को दे दी तथा दलिया जी जब तक जीवित रहे तब तक उक्त भूमि का उ
उपभोग करते रहे तथा उनकी मृत्यु उपरान्त वादी रामलाल ही उक्त भूमि का उ
उपभोगकर रहा है वर्तमान में दलिया पिता भेरा के सगे श्रसई भीमा, गमाना पिता
मीणा तथा सगीबहिन धुली पुत्री भेरा पत्नी कान्हा मीणा मौजुद है, इन सभी का खा
दलिया पिता भेरा की भूमि पर कोई हक अधिकार नही है, उक्त भूमि का एकमात्र स्
धिकार एवं आधिपत्यधारी वादी रामलाल ही हैं, जिसकी जानकारी हर आम और

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:45:22 IST
Reason: SelfAttested

को है. ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे मृतक प्रथीया उर्फ परथा एवं दलिया पिता भेरा मीणा के नाम पर अंकित भूमि पर वादी को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराया जाना न्याय हित मे आवश्यक हो गया है।

3. यह कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड की गत जमाबंदी संवत् 2051--54 मे खाता संख्या 168 पर खसरा न. 972–974/5 रकबा 2 बीघा भूमि तथा खाता संख्या 169 पर खसरा न 972–974/6 रकबा 2 बीघा भूमि पर कुल किता 2 रकबा 4 बीघा भूमि वर्तमान रकर्ड मे बिलानाम दर्ज हो गई है, ऐसी स्थिति में वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज खसरा न. मे हमारे काबिज अनुसार पुनः खातेदारी के रूप में कुलिया भूमि 4 बीघा मुझ वादी रामलाल पुत्र प्रथीया उर्फ परथा मीणा के नाम दर्ज कराये जाने का निवेदन किया। अतः वादी द्वारा आराजी न. 972–974/6 रकबा 2 विघा एवं आराजी 972–974/5 रकबा 2 विघा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कराने व वर्तमान राजस्व रेकर्ड में हुई त्रुटि को सुधारे जाने का निवेदन किया।

4. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5, 7 से 10 के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर बताया कि वाद वर्णित भूमि में हमारे हिस्से में आने वाली पैतृक भूमि को हमने कुछ समय पूर्व हमारे भाई वादी रामलाल के नाम उत्यागित कर दी है जिससे उक्त भूमि में हमारा कोई हक अधिकार शेष नहीं रहा हैं तथा हमारे पिता प्रर्थीया उर्फ प्रथा के हिस्से में आने वाली सम्पूर्ण भूमि का एक मात्र स्वामी अधिकारी वादी रामलाल है जिससे वाद वर्णित भूमि का एक मात्र खातेदार वादी को घोषित किया जाता हैं तो मुझ प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में विपक्षी संख्या 6 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर बताया कि खातेदार दलीया पिता भेरा का लाऔलाद विगत 5 वर्षो पूर्व निधन हो चुका हैं जिनके कोई जायन्दा पुत्र एवं पुत्री सन्तान नहीं होने के कारण उनकी सेवा चाकरी एवं मृत्यु उपरान्त पिण्डदान आदि वादी रामलाल ने ही किया है तथा समाज में लिखापढी भी की गई हैं ऐसी स्थिति में दलिया पिता भेरा की भूमि वादी के नाम की जाती है तथा उसे खातेदार घोषित किया जाता हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं।

5. प्रकरण मे तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि ग्राम कुण्डई पटवार हल्का कुण्डई में जमाबन्दी संवत् 2051–54 में खाता संख्या 168 पर खसरा न. 972–974/5 रकबा 2.00 बीधा भूमि थी दलीया पिता भेरा मीणा के नाम गैर खातेदारी तथा खाता संख्या 169 पर खसरा न. 972–974/6 रकबा 2.00 बीघा रामलाल, मोतडी, तुलसीबाई, नारायणी पिता परथा, वरदी बाई पत्नि प्रर्थिया मीणा के नाम गैर खातेदारी के रूप में दर्ज रेकर्ड थी। वर्तमान राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी सम्वत 2078–81 में प्रार्थी व उसके परिवार के नाम कोई ख[illegible]म नहीं हैं। यह कि साविक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:45:22 IST
Reason: SelfAttested

आराजी न 972–974/5 रकबा 2 बीघा व आराजी न 972–974/6 रकबा 2 बीघा का तरमीम सहित नक्शा उपलब्ध नहीं होने से आवंटन का नामान्तरण देखा गया। नामान्तरण संख्या 174–175 दिनांक 06.11.77 की फर्द पर आवंटन नक्शे बने हुए है। उक्त आवंटन नक्शे अनुसार मौका निरीक्षण अनुसार पाया कि वर्तमान आराजी न. 1343 रकबा 0.69 मे से 0.43 है. पर रामलाल, मोतडी, तुलसी बाई, नारायणी पिता परथा वरदी बाई पत्नि प्रथिया मीणा काबिज है तथा दलीया पिता भेरा मीणा फोत होकर उसकी भूमि पर प्रार्थी रामलाल पिता परथा खसरा संख्या 1343 रकबा 0.69 में से 0.19 आराजी संख्या 1345 रकबा 0.74 में से 0.24 कुल किता 2 रकबा 0.43 है. पर काबिज है। उक्त खसरा न. का मिलान क्षे देखने पर पाया की नवीन खसरा संख्या 1343 व 1345 साबिक खसरा संख्या 972–974 से ही बने है। यह कि गत जमाबंदी संवत् 2051–54 में दर्ज भूमि खसरा संख्या 972–974/5 रकबा 2.00 बीघा भूमि तथा खसरा न. 972–974/6 रकबा 2.00 बीघा भूमि कुल किता 2 रकबा 4 बीघा भूमि भू–प्रबन्ध के वर्तमान रेकर्ड में बिलानाम दर्ज हो गयी हैं। प्रार्थी व मृतक दलीया के परिवार के लोगो द्वारा बताया गया कि दलीया पिता भेरा के स्वयं का कोई वारिस ना होने के कारण उसकी सेवा चाकरी भोजन इत्यादि मृत्यु होने तक रामलाल द्वारा ही की गयी थी तथा उसकी भूमि साबिक खसरा न. 972–974/5 रकबा 2.00 बीघा का उपयोग भी आज दिनांक तक रामलाल द्वारा ही किया जा रहा हैं।

6. तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत् 2078–81 के वर्तमान बिलानाम खसरा संख्या 1343 रकबा 0.69 में से 0.43 है. भूमि रामलाल, मोतडी तुलसी बाई, नारायणी पिता परथा वरदी बाई पत्नि प्रथिया मीणा के नाम तथा खसरा संख्या 1343 रकबा 0.69 में से 0.19 खसरा संख्या 1345 रकबा 0.74 में से 0.24 कुल किता 2 रकबा 0.43 है. भूमि मृतक दलिया पिता भेरा मीणा के वारिसान के नाम उपरा दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया।

7. प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन शपथ पत्र पी डब्लु– 1 रामलाल पिता प्रथिया उर्फ प्रथा का पेश किया गया तथा दस्तावे के रूप में बहेडी दस्तावेज संवत् 2064 दिनांक 19.09.2007 का प्रर्दश–1 व उसकी प्र प्रदर्श–1ए तथा जमाबंदी संवत् 2051–54 प्रदर्श–2 कराई गई।

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में बहस गई। बहस पर मनन किया। अधिवक्ता वादी के कथनानुसार साबिक आराजी 972–974/6 रकबा 2 बिघा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज रेकर्ड तथा आराजी 972–975/5 रकबा 2 बिघा वादी के काका श्री दलिया पिता भेरा मीणा नाम गैर खातेदारी के रूप में दर्ज रेकर्ड रही जिनकी लाऔलाद मृत्यु हो चुकी हैं। जिस वादी उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। अधिवक्ता वादी के कथनानुसार सा आराजी न. 972–974/6 ... में ... तुलसीबाई, मोतडी, नारायणी पिता द्वारा वादी के पक्ष में अपना हिस्सा परि... करने व साबिक आराजी न. 972–974

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:45:22 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 2 विघा में खातेदार दलिया पिता भेरा लाऔलाद फौत होने से व उक्त आराजी पर वादी काबिज होने से वादग्रस्त आराजीयात को अपने नाम घोषणा कराये जाने व वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादग्रस्त आराजीयात को बिलानाम दर्ज करने से वर्तमान राजस्व रेकर्ड को शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 6 स्वीकारात्मक जवाब पेश कर वादग्रस्त आराजीयात को वादी के नाम घोषणा कराये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

9. अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में बहेडी दस्तावेज संवत् 2064 माघ सुदी बुधवार तारिख 19.09.2007 का प्रदर्श–1 व उसकी प्रति प्रदर्श–1ए कराई जिसके अध्ययन से पाया कि उक्त बहेडी दस्तावेज में संवत् 2064 माघ सुदी बुधवार तारिख 19.09.2007 को दलिया पिता भेरा मीणा द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि को वादी रामलाल को देना लिखा जिसमें गवाह के रूप में भीमा व धुली के हस्ताक्षर हैं। उक्त दस्तावेज से स्पष्ट है कि खातेदार दलिया पिता भेरा द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि को वादी रामलाल को उसकी सेवा चाकरी से खुश होकर देना बताया तथा जिसमें अन्य किसी का हिस्सा नहीं होना बताया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में बताया की दलीया पिता भेरा के स्वयं का कोई वारिस ना होने के कारण उसकी सेवा चाकरी भोजन इत्यादि मृत्यु होने तक रामलाल द्वारा ही की गयी थी तथा उसकी भूमि साबिक खसरा न. 972–974/5 रकबा 2.00 बीघा का उपयोग भी आज दिनांक तक रामलाल द्वारा ही किया जा रहा हैं। उक्त दस्तावेज प्रदर्श–1 से स्पष्ट है की खातेदार दलिया पिता भेरा मीणा द्वारा अपने हिस्से की भूमि को वादी को दे दी गई जिससे वादी यह साबित करने में सफल रहा की खातेदार दलिया पिता भेरा मीणा की साबिक आराजी न. 972–974/5 रकबा 2 विघा पर वादी रामलाल का अधिकार हैं। वादी अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में ग्राम कुण्डई की जमाबंदी संवत् 2051–54 प्रदर्श–2 पेश की जिसके अध्ययन से पाया कि आराजी न. 972–974/5 रकबा 2 विघा दलिया पिता भेरा मीणा के नाम गैर खातेदारी से दर्ज हैं तथा साबिक आराजी न. 972–974/6 रकबा 2 विघा रामलाल, तुलसीबाई, मोतडी, नारायणी पिता प्रथा, वरदीबाई पत्नी प्रथा मीणा के नाम दर्ज हैं। उक्त दस्तावेज से स्पष्ट है कि साबिक आराजी न. 972–974/5 खातेदार दलिया पिता भेरा मीणा के नाम गैर खातेदारी से दर्ज थी तथा साबिक आराजी न. 972–974/6 खातेदार रामलाल, तुलसीबाई, मोतडी, नारायणी पिता प्रथा, वरदी बाई पत्नी प्रथा मीणा के नाम अंकित हैं। साबिक आराजी न. 972–974/6 की सह खातेदार तुलसीबाई, मोतडी, नारायणी पुत्री प्रथिया द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर स्पष्ट किया हैं कि उक्त खातेदार के हिस्से में आने वाली भूमि को वादी के पक्ष उत्यागित कर दिया है जिससे उक्त साबिक आराजी पर हमारा अधिकार शेष नहीं रहा हैं तथा वादी [illegible] न. का वादी को खातेदार घोषित किये जाने पर कोई आपत्ति [illegible] 972–974/6 की सहखातेदार वरदी बाई फौत हो चुकी [illegible] वादी व प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:45:22 IST
Reason: SelfAttested

1 से 3 है है। अतः वादी यह साबित करने में सफल रहा की साबिक आराजी न. 972-974/6 का एक मात्र अधिकारी वादी है।

10 प्रकरण में वादी द्वारा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में साबिक वादग्रस्त आराजी न. को बिलानाम दर्ज किये जाने का कथन किया है। इस हेतु तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात का नवीन जमाबंदी में खाता कायम नहीं किया गया तथा साबिक वादग्रस्त आराजीयात की तरमीम नहीं होना बताया। गत जमाबंदी संवत 2051-54 में दर्ज भूमि खसरा संख्या 972-974/5 रकबा 2.00 बीघा भूमि तथा खसरा न. 972-974/6 रकबा 2.00 बीघा भूमि कुल किता 2 रकबा 4 बीघा भूमि भू-प्रबंध के वर्तमान रेकर्ड में बिलानाम दर्ज हो गयी है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा मौके अनुसार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2078-81 के वर्तमान बिलानाम खसरा संख्या 1343 रकबा 0.69 में से 0.43 है भूमि रतनलाल, मांगीलाल, तुलसी बाई, नारायणी पिता दरया वर्दी बाई पति प्रथेया मीणा के नाम तथा खसरा संख्या 1343 रकबा 0.69 में से 0.19 खसरा संख्या 1345 रकबा 0.74 में से 0.24 कुल किता 2 रकबा 0.43 है भूमि मृतक दलिया पिता भेरा मीणा के वारिसान के नाम उपरान्त दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया। तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त आराजीयात को बिलानाम दर्ज कर दिया गया है जिससे वादी अपने कथन को साबित करने में सफल रहा है।

11. अतः उपरोक्त विवेचन, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा कुन्दई पटवार हल्का कुन्दई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की खाता संख्या नया 1 की आराजी संख्या 1343 रकबा 0.6900 हेक्टेयर भूमि में से 0.62 है. भूमि व आराजी न. 1345 रकबा 0.7400 है. में से 0.24 है. भूमि कुल किता 2 रकबा 0.8600 है. भूमि बिलानाम सरकार के बजाय वादी रतनलाल पिता प्रथेया उर्फ परथा मीणा के नाम दर्ज किये जाने व प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा उक्त हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:45:22 IST
Reason: SelfAttested